# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 87 / 2022

1. दयानन्द पुत्र नेतराम उम्र 69 वर्ष, जाति जाट, निवासी श्यामपुरा मैनाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज0)।
2. होशियार सिंह पुत्र नेतराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी श्यामपुरा मैनाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज0)। —अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार बुहाना ,तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)। —रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय 15.02.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार
बुहाना मुकदमा उनवानी सरकार बनाम दयानन्द वगैरह
अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 01 / 2021

उपस्थितिः—

1. शिवकुमार जेवरिया, एडवोकेट —— —— ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,राजकीय अधिवक्ता ————— राज0 सरकार की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक

पत्रावली पेश हुई। उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2021 मुकदमा नंबर 01 / 2021 बमुकदमा उनवानी सरकार, बनाम दयानन्द वगैरह अं0 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि— ''अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ग्राम श्यामपुरा मैनाना के खसरा नंबर 25 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो प्रथमदृष्ट्या ही अवैध होने से खारिज होने योग्य है। अपीलान्टस ने अपने मकानोंमें बिजली, पानीका कनेक्शन ल रखा है और लगभग 70—80 ... से पक्के मकान बनाकर अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:24 IST
Reason: SelfAttested

परिवार सहित पूर्वजों के समय से आबाद है। अपीलांटस के मकानात के पास स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 575/573 एवं 574/573 है । अपीलांट के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। अपीलांट द्वारा दिनांक 15.2.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया था,लेकिन आगे तारीख पेशी नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया ,आदि। अंत में अपील पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना ने केवल हल्का पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर, अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि खसरा नंबर 25 के किसी भी भू–भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है जिसके आधार मनमाने हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है,जो साबित भी नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 15.02.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने ग्राम मैनाना की राजकीय भूमि खसरा नंबर 25 कुल रकबा 2.07 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ में से रकबा 2.52 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहान द्वारा विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नोटिस जारी कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया कर बेदखली का आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:24 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा उन्हें साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट कि हल्का पटवारी श्यामपुरा मैनाना की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस जारी हुआ जो विधिवत तामिल हुआ है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया है, लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित राजकीय भूमि खसरा नंबर 25 कुल रकबा 2.07 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 उनवानी सरकार बनाम दयानन्द वगैरह, मु0नं0 01/2021 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:24 IST
Reason: SelfAttested